राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(1) साप्र/3/11 जयपुर, दिनांक **- 9 JUL 2012**

-परिपत्र-

प्रायः यह देखने में आया है कि कार्यालय व निवासीय टेलीफोन के बिल अंतिम तिथि के आसपास अथवा इसके पश्चात् भुगतान हेतु प्रेषित किये जाते है। जिसके कारण सरचार्ज राशि का अनावश्यक व्ययभार पड़ता है जिसपर महालेखाकार के द्वारा एतराज किया गया है। वही भुगतान के अभाव में टेलीफोन का संबंध विच्छेद हो जाता है तथा रिकनेक्शन करवाने पर रिकनेक्शन चार्जेज का अतिरिक्त व्ययभार पड़ता है। अतः भविष्य हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :-

1. टेलीफोन के बिल भुगतान की तिथि के सात दिन पूर्व मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को दो प्रतियों में सत्यापित शुदा प्रेषित कर दिये जावें।
2. मुख्य लेखाधिकारी के परिपत्र दिनांक 17.5.11 के अनुसार जिन मामलो में बिल भुगतान की अवधि यदि अवधि 7 दिवस से कम रह जाती है तो टेलीफोन/ मोबाइल का भुगतान स्वयं कर बिल प्रमाणित करने के उपरान्त भुगतान की रसीद संलग्न कर दो प्रतियों में मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाने पर पुर्नभरण उनके द्वारा कर दिया जावेगा। पुर्नभरण हेतु भिजवाये जाने वाले बिलों के लिए भुगतान कर्त्ता का नाम पद कार्यालय एवं बैंक खाता का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
3. यदि ड्यू डेट पर बिल प्राप्त न हो तो सम्बन्धित टेलीफोन धारक को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र से लेखाधिकारी, राजस्व, भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर से बिल की प्रति प्राप्त कर यथासमय प्रमाणित कर मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को प्रेषित कर दिये जावे।
4. इस विभाग के परिपत्र दिनांक **12.4.12** द्वारा पूर्व में निर्देशित किया जा चुका कि सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित विभाग/कार्यालय अपने कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पंजीकृत करवाकर भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पर लैण्डलाइन/मोबाइल के बिल इस पर भेजे जा सकें/प्राप्त हो सकें। जिससे कि बिल भुगतान में सुगमता एवं सरलता रहे।
5. भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की वेबसाईट www.rajasthan.bsnl.co.in से मोबाइल टेलीफोन के बिल सीधे ही तथा लैण्डलाइन टेलीफोन के बिल डाऊनलोड करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विधिवत पंजीकरण करवाकर लैण्डलाईन टेलीफोन के बिल भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की साईट से सीधे ही डाऊनलोड किये जा सकते है। सुविधार्थ डाऊनलोड की प्रक्रिया परिपत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।
6. टेलीफोन के बिल में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन/परिवर्तन अपेक्षित है तो इसके लिये टेलीफोन धारक संबंधित लेखाधिकारी (राजस्व), भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर से आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर परिवर्तन अपने स्तर से करवा लिया जावे।
7. टेलीफोन बिल में अंकित राशि के सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी चाहिए तो भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर के टोल फ्री नं0 **1500** पर आवश्यकतानुसार ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन बिल के पृष्ठ भाग पर लेखाधिकारी (राजस्व) के नंबर अंकित है। इनपर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
8. विभाग द्वारा नियमित तौर पर टेलीफोन बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि तक अथवा इससे पूर्व हो जाये इसे सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि भविष्य में प्रीवियस बकाया/सरचार्ज राशि बिल में अंकित होकर न आये। विभाग द्वारा संधारित रजिस्टर में प्रविष्टि कर इसे हमेशा अपडेट रखा जावे।

अतः सभी टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारीगण से यह आशा की जाती है कि उक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराये जाने की कृपया व्यवस्था करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

([illegible] जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
2- निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव।
3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4- निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ उप शासन सचिव/विशेषाधिकारी/अन्य समकक्ष अधिकारी।
5- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय।

([illegible] जैन)
उप शासन सचिव

भारत संचार निगम लिमिटेड, (BSNL) जयपुर की वेबसाइट से ऑनलाईन डुप्लीकेट बिल प्राप्त करने की प्रकिया

- सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेवें कि उपभोक्ता के पास ई–मेल एड्रेस है।
- यदि ई–मेल एड्रेस नही है तो ई–मेल रजिस्ट्रेशन करावे।
- तत्पश्चात् www.rajasthan.bsnl.co.in की साईट खोलें।
- उपरोक्त साईट खोलने पर web customer services (CDR Based) के विकल्प पर क्लिक करें।
- तदुपरान्त USER LOGIN का विकल्प प्रदर्शित होगा जिसमें Existing BSNL Customer "Click here" विकल्प को क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होने पर उसको पूर्ण रूप से भरें।
- फार्म भरने के पश्चात् कुछ दिन के उपरान्त BSNL द्वारा उपभोक्ता को पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा। जिसकी जानकारी आपके ई–मेल पर होगी।
- तदुपरान्त उपभोक्ता उपलब्ध करवाये गये पासवर्ड अथवा Change पासवर्ड को USER LOGIN के साथ डालने पर आपका अकाउण्ट खुल जावेगा।
- यहॉ पर बायें हाथ की तरफ My Services डिस्प्ले हो रहा है जिसको क्लिक करने पर View Bills का option खुलेगा View Bills में जाने पर बिल अवधि स्कीन पर डिस्प्ले हो रही होगी जिस पर क्लिक करने से डुप्लीकेट टेलीफोन बिल का प्रिन्ट लिया जा सकता है।